राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.2(19)वित्त/राजस्व/2005 पार्ट जयपुर, दिनांकः– 29 MAY 2018

परिपत्र

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में निम्न दिशा निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है :–

1. निर्माण विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इंगानप, सीएडी, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, नगर विकास न्यास, प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि में कार्यानुभव रखने वाले कनिष्ठ लेखाकारों व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय का पदस्थापन खण्डीय लेखाकार के पदों पर किया जा सकेगा।
2. आवश्यकतानुरूप राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में चयनित ऐसे कार्मिक जिन्होंने निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् विभागीय परीक्षा उर्त्तीण कर ली है, उनका खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापन किया जा सकेगा
3. जिन कार्मिकों के विरूद्व सीसीए नियमों में जॉच विचाराधीन है, खण्डीय लेखाकार के पदों पर उनके पदस्थापन हेतु विचार नहीं किया जावेगा ।
4. खण्डीय लेखाकार के पद पर कोई भी कार्मिक एक बार में अधिकतम 4 वर्ष तक ही पदस्थापित रह सकेगा तथा सम्पूर्ण सेवाकाल की अवधि में अधिकतम 8 वर्ष का ही पदस्थापन खण्डीय लेखाकार के पद पर किया जा सकेगा ।
5. अनुशासनात्मक/अन्य प्रशासनिक कारणों से आवश्यक होने पर 4 वर्ष से कम अवधि पर भी कार्मिक का खण्डीय लेखाकार के पद से अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा
6. वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.03.2017 के प्रावधान/दिशा निर्देश के अध्यधीन कोष एवं लेखा विभाग द्वारा खण्डीय लेखाकारों के पदों पर पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।
7. विभिन्न पे–मेट्रिक्स एवं अनुभव के आधार पर कार्य–खण्ड (Works Divison) की श्रेणी के अनुसार निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा सामान्य स्थानान्तरण नीति के अध्ययधीन कार्मिक का खण्डीय लेखाकार के पद पर अथवा अन्यत्र पदस्थापन किया जा सकेगा।
8. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम समय है, उन्हें खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापित नहीं किया जावेगा।
9. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक जो निकट भविष्य में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर पदोन्नत होने वाले है, उन्हें खण्डीय लेखाकार के पद पर पदस्थापन हेतु वरीयता दी जावेगी ।

वित्त(राजस्व)विभाग, क.न. 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, राजस्थान, जनपथ, जयपुर (राज.) फोन 0141–5153222,5153223, Ext 4418,4456
Fax 0141-2385753 web www.finance.rajasthan.gov.in email; dsrev.fd@rajasthan.gov.in

10. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.03.2017 के प्रावधान/दिशा निर्देश यथा अनुरूप लागू रहेंगे।

28/5/18
(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व/बजट/व्यय) विभाग।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

29/5/18
संयुक्त शासन सचिव

वित्त(राजस्व)विभाग, क.न. 5126 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, राजस्थान, जनपथ, जयपुर (राज.) फोन. 0141-5153222,5153223, Ext. 4418,4456
Fax 0141-2385753 web. www.finance rajasthan.gov.in email; dsrev.fd@rajasthan.gov.in